

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 89 /2019

दिनांक : 27.09.2019

श्रीमती नुसरत बानो (RJ0363), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अ.नि. प्रकरण), दौसा को दिनांक 09.10.2019 से 19.10.2019 तक 11 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 06.10.2019 से 08.10.2019 एवं 20.10.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री सोनिया बेनीवाल (RJ0421), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा को श्रीमती नुसरत बानो के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अ.नि. प्रकरण), दौसा के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
- (2) सुश्री सोनिया बेनीवाल (RJ0421), जिनको विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अ.नि. प्रकरण), दौसा के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/69/2000/ 9194

दिनांक 27.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा को उनके पत्रांक 4887 दिनांक 06.09.2019 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती नुसरत बानो (RJ0363), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अ.नि. प्रकरण), दौसा।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अ.नि. प्रकरण), दौसा।
5. सुश्री सोनिया बेनीवाल (RJ0421), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।


27.9.2019
सहायक रजिस्ट्रार